मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

1. सिलोचना 2. लिलावती) पुत्रिया ईशर 3. सुदेशपुत्री दर्शना जाति मेघवाल निवासी बिराण — उनवान बनाम — 1. करणसिंह 2 पवन 3 शिमला 4 सरोज) पुत्र पुत्रिया ईशर 5. विमला ज० मांगेराम 6 सोनू 7 पूनम 8 रवि 9 विजय) पुत्र पुत्रिया मांगेराम 10. राज० सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

दावा बाबत :- 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :- 199/2019

निर्णय दिनांक :- 15.11.21

वादी की ओर से वकील [illegible] की व प्रतिवादी सं० 1 से 4 की ओर से वकील [illegible] की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.11.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 5 AMS के खाता संख्या 715 के मु.न. 52 के किला न. 16, 17, 24, 25, मु. न. 57 के किला न. 4, 5 मु. न. 58 के किला न. 9/1, 10, 11/1 इस प्रकार कुल किता 9 की कुल 1.9600 हैक्टेयर ईशर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में ईशर का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 को 5/24, प्रतिवादी स. 2 को 5/24 व प्रतिवादी स. 5 ता 9 को संयुक्त रूप से 5/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स. 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी स. 5 ता 9 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़